

क्रमांक:- एफ.4/जी-3107/2013/अलेसे-III/2976

दिनांक :- 13/02/2025

आदेश

सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर के पत्र क्रमांक न्यास/स्थापना शाखा/2024/2117 दिनांक 11.02.2024 द्वारा श्री गणेश कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नंबर 12821) कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर को पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के द्वारा पी.सी. एक्ट के अपराध में गिरफ्तार किये जाने एवं श्री कलवाणी के पुलिस अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गिरफ्तारी दिनांक 09.02.2024 से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

श्री गणेश कलवाणी को निलम्बित हुए 06 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री कलवाणी द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 13/02/2025

क्रमांक:- एफ.4/जी-3107/2013/अलेसे-III/2976

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
2. कोषाधिकारी कोटा।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
4. श्री गणेश कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नंबर 12821) कार्यालय कोषाधिकारी कोटा।
5. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)